राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.1(55)साप्र/2/77–पार्ट–1 जयपुर, दिनांक :– 16.03.2018

आज्ञा

राज्य के विभिन्न स्थानों पर राजकीय आवास, राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों को भी आवण्टित है। इस विभाग की आज्ञा संख्या एफ–1(54)साप्र/2/91 दिनांक 30.11.1998 के द्वारा उक्त आवण्टियों से विभिन्न श्रेणियों के आवास का दिनांक 01.01.1998 से वसूलनीय किराया निर्धारित किया गया था। उक्त आदेश में इस विभाग की आज्ञा संख्या प.1(18)साप्र/2/94 दिनांक 09.06.2000 द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए पत्रकारों का किराया निर्धारण अलग से किया गया था।

उक्त आज्ञा के अतिक्रमण में इस विभाग की आज्ञा संख्या प.1(55)साप्र/2/1977–पा.1 दिनांक 22.08.2014 द्वारा राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पत्रकारों से भिन्न अन्य व्यक्तियों से विभिन्न श्रेणियों के आवासों की किराया दर निर्धारित की गई थी।

आज्ञा संख्या प.1(18)साप्र/2/94 दिनांक 09.06.2000 के अतिक्रमण में प.1(55)साप्र/2/1977–पा.1 दिनांक 22.08.2014 में आंशिक संशोधन करते हुए राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों, जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं, से विभिन्न श्रेणियों के आवासों की किराया दर तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

क्र.सं.	आवास की श्रेणी	किराया प्रतिमाह
1.	प्रथम श्रेणी	10000/–
2.	द्वितीय श्रेणी	7500/–
3.	तृतीय श्रेणी	6500/–
4.	चतुर्थ श्रेणी	5000/–
5.	पंचम श्रेणी	3000/–

उपर्युक्तानुसार निर्धारित किये गये किराये की वसूली प्रत्येक माह की जावेगी। समय पर किराया भुगतान नहीं करने वाले राजकीय आवास के आवण्टियों को इस विभाग की आज्ञा क्रमांक एफ–1(54)साप्र/2/91 दिनांक 30.11.1998 के अनुसरण में बकाया किराया राशि पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि का भुगतान भी करना होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

— sd —
(पवन कुमार गोयल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माननीय राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर।
4. महापंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवगण/समस्त प्रमुख शासन सचिवगण/शासन सचिवगण/ विशिष्ट शासन सचिवगण।
7. प्रमुख निवासीय आयुक्त, बीकानेर हाऊस, पंडारा रोड़, नई दिल्ली।
8. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, साप्रवि को उनकी आई.डी. संख्या 516/M/GAD/17 दिनांक 26.12.2017 के क्रम में।
9. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव/समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण।
10. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. जिला कलेक्टर, जयपुर।
13. समस्त विभागाध्यक्षगण, जयपुर।
14. समस्त कोषाधिकारीगण, जयपुर।
15. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
17. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
18. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
19. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग।
21. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
22. सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1, 3, 4, 5 एवं 6) विभाग।
23. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

www.rajteachers.com